जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(जन सम्पर्क अनुभाग)
प्रेस–विज्ञप्ति

बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के 6998 मामलों में 6 करोड़ 82 लाख के राजस्व का निर्धारण

जयपुर, 16 मार्च। जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा चलाए जा रहे सतर्कता जांच अभियान के तहत निगम के ओ एण्ड एम एवं विजिलेन्स विंग के अधिकारियों द्वारा मार्च माह में 6998 स्थानों पर सतर्कता जांच की गई, जिसमे सभी जगहों पर बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के मामले पकड़ गए है।

जयपुर विद्युत वितरण निगम के प्रबन्ध निदेशक श्री अनुराग भारद्वाज ने बताया कि मार्च माह में अब तक डिस्कॉम क्षेत्र में बिजली चोरी रोकने के लिये की गई जांच में सतर्कता विंग एवं ओ एण्ड एम के अधिकारियों द्वारा 5336 मामले बिजली चोरी के एवं 1662 मामले बिजली दुरुपयोग के पकड़े गए है। बिजली चोरी एवं दुरुपयोग के पकड़े गए इन मामलों में 6 करोड़ 82 लाख 24 हजार रुपए के राजस्व का निर्धारण किया गया है। इसके साथ ही बिजली चोरी के मामलों में 112 एफ.आई.आर. भी दर्ज करवाई गई है।

उन्होंने बताया कि सतर्कता विंग के अधिकारियों द्वारा मार्च माह में बिजली चोरी के पकड़े गए 992 मामलों में से 890 घरेलू बिजली चोरी के, अघरेलू 88 मामले, कृषि में बिजली चोरी के 11 मामले, 2 मोबाईल टावरों पर बिजली चोरी एवं एस आई पी में एक मामला बिजली चोरी का पकड़ा गया है। श्री भारद्वाज ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए सतर्कता जांच की कार्यवाही निरन्तर चलती रहेगी।

––––

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 199/2015